सत्यमेव जयते

Safety Regulation
Since 1983

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

अध्यक्ष
CHAIRMAN

No. AERB/NPSD/SHK/CN/SR/072210/2025/00632 **31 जुलाई, 2025**

विषय: वैकल्पिक ईंधन प्रबंधन योजना से संबंधित गतिविधियों को करने की अनुमति

संदर्भ:

1. दिनांक 10 अप्रैल, 2024 को पीएफबीआर कोर में ब्लैंकेट सब असेंबली लोडिंग की अनुमति ।
2. दिनांक 29 जुलाई, 2024 को रिएक्टर कोर में प्रारंभिक ईंधन लोडिंग, फर्स्ट एप्रोच टु क्रिटिकालिटी और लो पावर भौतिकी प्रयोगों के लिए अनुमति ।
3. दिनांक 12.06.2025 के पत्र संख्या भाविनी/डी (प्र.) और (एसडी)/2025/40 के माध्यम से ईंधन सब-असेंबली लोडिंग, फर्स्ट एप्रोच टु क्रिटिकालिटी और लो पावर भौतिकी प्रयोगों के लिए नियामक सहमति के एक्सटेंशन हेतु अनुरोध ।
4. दिनांक 03.04.2025 का पीएफबीआर के एलआरपी में आईवीटीपी एक्सेस पोर्ट के माध्यम से कोर में ईंधन सब-असेंबली लोडिंग के लिए भाविनी का प्रस्ताव (संशोधित) ।
5. "पीएफबीआर के लिए आईएफएल, एफएसी और एलपीपीई की अनुमति के एक्सटेंशन हेतु भाविनी के अनुरोध के संबंध में" दिनांक 10.07.2025 का एईआरबी का पत्र - संख्या एईआरबी/एनपीएसडी/एसएचके/सीएन/एसआर/072214/ 2025/00574 ।
6. "कमीशनिंग गतिविधियों और वैकल्पिक ईंधन प्रबंधन योजना के संबंध में गतिविधियों को करने की अनुमति" के लिए दिनांक 14.07.2025 का भाविनी का पत्र -संख्या भाविनी/डी(प्र.)&एस(डी)/2025/53

यह भाविनी द्वारा साइट पर कमीशनिंग गतिविधियों एवं वैकल्पिक ईंधन प्रबंधन योजना से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति के अनुरोध के संदर्भ में है, जिसकी एईआरबी में समीक्षा की गई । यह नोट किया गया है कि पीएफबीआर के प्रचालन हेतु तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार सभी प्रणालियों का रख-रखाव किया जा रहा है और प्रणालियों की उचित निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, साइट पर वैकल्पिक ईंधन प्रबंधन योजना से सम्बंधित उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

आवेदन की समीक्षा के आधार पर, ब्लैंकेट-लोडिंग चरण (चरण-बी कमीशनिंग का भाग 2) के बाद चल रही सिस्टम कमीशनिंग गतिविधियों को जारी रखने और साइट पर वैकल्पिक ईंधन प्रबंधन योजना से सम्बंधित निर्माण, कमीशनिंग और परीक्षण कार्यों को करने की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है -

1. संयंत्र की संरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी अनुमति प्राप्तकर्ता की होगी।

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

नियामकभवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094
NIYAMAK BHAVAN, ANUSHAKTI NAGAR, MUMBAI - 400 094
दूरभाष / TELEPHONE : 91-22-2556 2343, 2599 0604 फ़ेक्स / FAX : 91-22-2556 2344, 2556 5717, 2558 3230
E-mail: chairman@aerb.gov.in वेबसाइट / WEBSITE : www.aerb.gov.in

विकिरण से सुरक्षित भारत

2. संयंत्र को पोस्ट ब्लैंकेट-लोडिंग चरण (चरण-बी कमीशनिंग का भाग 2) के अनुरूप स्थिति में बनाए रखना होगा और पीएफबीआर के प्रचालन हेतु तकनीकी विनिर्देशों की प्रासंगिक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करना होगा।
3. भाविनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित ईंधन प्रबंधन प्रणाली की स्थापना संतोषजनक डिज़ाइन संरक्षा समीक्षा के बाद ही की जाए।
4. सभी औद्योगिक और अग्नि संरक्षा आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करना होगा।
5. इन गतिविधियों के दौरान किसी भी असामान्य घटना, महत्वपूर्ण घटना या औद्योगिक दुर्घटना की सूचना तुरंत एईआरबी को देनी होगी।

यह अनुमति 30 नवंबर, 2025 तक या भाविनी द्वारा वैकल्पिक ईंधन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर आईएफएल, एफएसी और एलपीपीई के लिए मंजूरी प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक वैध है।

दिनेश शुक्ला
D. K. Shukla.
(दिनेश कुमार शुक्ला)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय नाभिकीय विद्‌युत निगम लिमिटेड
कलपक्कम, चेंगलपट्टू जिला
तमिलनाडु

प्रति

एईआरबी	**एईआरबी समितियाँ**
अध्यक्ष (कार्यालय)	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, एसीपीएसआर-एनपीपी
कार्यकारी निदेशक, आरओ	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, पीडीएससी-एफबीआर
निदेशक, आरए & ईआर	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, सीआरएसए
प्रमुख, एनपीएसडी	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, एससीआरपी
प्रमुख, ओपीएसडी	**आईजीसीएआर**
प्रमुख, डीआरआई	निदेशक, आईजीसीएआर
प्रमुख, एनएसएडी	**भाविनी**
प्रमुख, डीआरपी & ई	स्टेशन निदेशक, पीएफबीआर
प्रमुख, एसआरआई	निदेशक (प्र.)
प्रमुख, एफबीआर-पीएस	निदेशक (तक.)
	मुख्य अधीक्षक, पीएफबीआर
	तकनीकी सेवा अधीक्षक

अस्वीकरण: हिंदी अनुवाद के कारण विरोधाभास/विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।